

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

प्र०क० निगरानी / 2018 जिला-पन्ना
निगरानी - 3586/2018/पन्ना/श०र

चिड़डा चमार (मृतक) वारिसान:-
नन्दलाल पिता स्व० चिड़डा चमार
निवासी ग्राम सिलगी तहसील
देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म०प्र०

—आवेदक

विरुद्ध

गिल्लीबाई (मृत) वारिसान :-

- 1—श्रीमती सिरवतिया पुत्री गिल्लीबाई
पत्नी मूल चन्द्र निवासी जुडेहा तहसील
नागौद जिला सतना म०प्र०
- 2—श्रीमती परमी पुत्री गिल्ली बाई-पत्नी
बन्दी ग्राम हड्हा तहसील नागौद
जिला सतना म०प्र०
- 3—श्रीमती न्योरी पुत्री गिल्ली बाई पत्नी
लोटना ग्राम मौहारी तहसील नागौद
जिला सतना म०प्र०
हाल निवासी ग्राम सिलगी तहसील
देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म०प्र०

निगरानी आवेदन पत्र म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के
अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 4.10.17 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर
संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1122/अ-63/2011-12.

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3586/2018/पन्ना/भू.रा.

चिङ्डा चमार विस्तृदध गिल्लीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक श्री चिङ्डा चमार के अभिभाषक श्री व्ही.के. शुक्ला को पूर्व में दिनांक 05-07-2018 को सुना गया था।</p> <p>3. ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया।</p> <p>4. अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है आवेदक व अनावेदक द्वारा 90 दिवस के भीतर वारसानों को रिकार्ड पर लाने की कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में आवेदक व अनावेदक दोनों फौत हे गये। इस स्थिति में प्रकरण में वारसानों की कार्यवाही विलंब से प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।</p> <p>5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है। जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	 